2023/132

	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
-24	वकील प्रार्थी उप.। पत्रावली में वांछित रिपोर्ट मिजवाने हेतु तहसीलदार बूंदी को स्मरण पत्र जारी हो। पत्रावली दि. 06-9-24 को पेश हो। अभिभाषक परिषद द्वारा कार्य. स्थगन पेश किया	
06-09-24	पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित है आज श्रीमान उप[illegible] अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे मे तशरीफ [illegible] कार्य मे व्यस्थ है/ अभिभाषणगण [illegible] अतः पत्रावली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 16-10-24 को पेश हो।	
16/10/24	वकील प्रार्थी उप०। पत्रावली में वांछित रिपोर्ट TDR, बूंदी अप्राप्त हैं। पुनः पत्र जारी हो। पत्रावली दिनांक 5.11.24 को पेश हो।	
5.11.24	वकुलाम उप०। TDR, बूंदी से वांछित रिपोर्ट प्राप्त हैं, शामिल हो। बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते निर्णय दि० 18/11/24 को पेश हो।	
18-11-24	पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित है आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे मे तशरीफ रखते है/ अन्य कार्य मे व्यस्थ है/ अभिभाषणगण कन्डोलेन्स पर है। अतः पत्रावली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 09-12-24 ....को पेश हो।	
09/12/24	वकु० उप०। पुनः बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते निर्णय दि० 13/12/24 को पेश हो।	
13/12/24	वकु० उप०। निर्णय पृथक् लिखा जाकर सुनाया गया, शा० मि० हो। पत्रावली फैसले में शुमार होकर बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2025.02.28 19:44:43 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बून्दी जिला बून्दी राजस्थान

मिसल नंबर	दायरा दिनांक	पीठासीन अधिकारी
90 / प्रा0प0 / 2023	21.09.2023	हरबिन्दर डी0 सिंह, आर0ए0एस0

1. शांतिलाल पुत्र कीर्तिमल जाति महाजन निवासी ग्राम सीलोर तहसील व जिला बून्दी राजस्थान।
2. नरेन्द्र
3. भैरूप्रकाश
4. महेश
5. सुरेन्द्र
6. सांवरिया पिसरान श्री शांतिलाल जातियान महाजन निवासी ग्राम सीलोर तहसील व जिला बून्दी राजस्थान।
7. इन्द्रा
8. निर्मला
9. मनीषा पुत्रियान श्री शांतिलाल जाति महाजन निवासी ग्राम सीलोर तहसील व जिला बून्दी राजस्थान।

—प्रार्थीगण

—बनाम—

राजस्थान राज्य सरकार जर्ये तहसीलदार बून्दी जिला बून्दी राज०।

—अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत् पत्थरगढ़ी करवाये जाने।

निर्णय

दिनांक—13.12.2024

उपस्थित— प्रार्थीगण की ओर से एडवोकेट श्री रणधीर सिंह।
अप्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार।

प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र पेश किया। प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण एक ही परिवार के सदस्य हैं। प्रार्थी क्रम 2 लगायत 6 प्रार्थी क्रम 1 के पुत्र तथा प्रार्थीगण क्रम 7 लगायत 9 प्रार्थी क्रम 1 की पुत्रियां हैं। जिनके मध्य परस्पर कोई विवाद नहीं हैं। कृषि भूमि खसरा संख्या 2604 / 1465 रकबा 1.1151 है0 वाके ग्राम सीलोर तहसील व जिला बून्दी राजस्थान में स्थित हैं जो जमाबंदी सम्वत् 2072 से 2075 की खाता संख्या नई 792 तथा पुरानी 756 में प्रार्थीगण का समान रूप से प्रत्येक का 1/9 1/9 हिस्सा अंकित हैं। जिस पर प्रार्थीगण अपने हिस्से अनुसार काबिज काश्त चले आ रहे हैं। प्रार्थीगण की उक्त भूमि के पडौस में अन्य खातेदारों की कृषि भूमि हैं, किन्तु उक्त पड़ौसी खातेदार आये दिन प्रार्थीगण की उक्त भूमि पर जबरन कब्जा करने की नियत रखते जानबूझकर पशु इत्यादि प्रार्थीगण की भूमि पर छोड देते हैं, इस सन्दर्भ में प्रार्थीगण द्वारा पूर्व में दिनांक 21.06.2023 को तहसीलदार बून्दी आदेश क्रमांक 97 / सीमाज्ञान दिनांक 14.06.2023 ग्राम सीलोर कृषि भूमि खसरा संख्या 2604 / 1465 रकबा 1.1151 है0 का गिर्दावर द्वारा 1613 से सीमाज्ञान किया गया, जिसकी प्रतिलिपि प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की जा रही हैं। प्रार्थीगण की उक्त भूमि के सम्बन्ध में अप्रार्थी तहसीलदार द्वारा करवाये गये सीमाज्ञान में मौका स्थिति तथा उक्त भूमि का सही माप प्रार्थीगण के सीमाज्ञान में पाया गया, इस उपरान्त भी पडौसी खातेदार द्वारा प्रार्थीगण की उक्त भूमि पर जबरन कब्जा करने तथा आये दिन अपने मवेशी प्रार्थीगण की भूमि पर छोड़ देते हैं, जिससे प्रार्थीगण की फसल का नुकसान हो रहा हैं, इस पर प्रार्थीगण द्वारा पडौसी काश्तकारो से कुछ कहने पर लड़ाई—झगड़ा करने पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2025.02.28 19:44:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बून्दी (राज०)

दा हैं। इस पर अप्रार्थी द्वारा सीमांकन के अनुसार उक्त प्रार्थीगण की भूमि पर [illegible]रगढ़ी की जाना प्रस्तावित है। प्रार्थीगण के खाते की भूमि पर सीमाज्ञान के अनुसार [illegible]त्थरगढ़ी करवाया जाना आवश्यक हो गया हैं, यदि प्रार्थीगण की उक्त भूमि पर पत्थरगढ़ी नहीं की गई तो प्रार्थीगण को भारी अपूरणीय क्षति होगी। इस कारण प्रार्थीगण की भूमि पर पत्थरगढ़ी किया जाना न्यायोचित हैं। अतः प्रार्थना हैं कि मौके पर प्रार्थीगण की भूमि पर सीमाज्ञान अनुसार पत्थरगढ़ी करवाये जाने के आदेश अप्रार्थी तहसीलदार, बून्दी को आदेशित किये जावें।

उक्तानुसार प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया एवं तहसीलदार, बून्दी से प्रार्थना पत्र के संबंध में जांच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार, बून्दी द्वारा जरिये पत्र क्रमांक 4806 दिनांक 04.11.2024 से अवगत कराया हैं कि खाता संख्या 792 खसरा संख्या 2604/1465 किता 1 रकबा 1.1151 है0 पर प्रार्थी शांतिलाल पुत्र कीर्तिमल महाजन, नरेन्द्र, भैरूप्रकाश, महेश, सुरेन्द्र, सांवरिया पुत्र शांतिलाल महाजन तथा इन्द्रा, निर्मला, मनीषा पुत्रियां शांतिलाल महाजन प्रत्येक का हिस्सा 1/9 हैं एवं काबिज काश्त हैं, जिसका प्रार्थी के आवेदन पर इस कार्यालय की सीमाज्ञान आदेश क्रमांक 97 दिनांक 14.06.2023 की पालना में सीमाज्ञान दिनांक 21.06.2023 को किया जा चुका हैं। प्रार्थीगण पत्थरगढ़ी करवाना चाहते हैं। नियमानुसार पत्थरगढ़ी की कार्यवाही श्रीमान् के आदेश की पालना में करवाई जा सकेगी।

बहस एक पक्षीय सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी अभिभाषक द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया और व्यक्त किया की सीमाचिन्हों के अभाव में पड़ौसी काश्तकार प्रार्थीगण की भूमि को सीमाओं की ओर से हड़पना चाह रहे हैं। प्रार्थीगण को अपने खातेदारी की प्रार्थना पत्र विषयक भूमि की पत्थरगढ़ी करवाने का नियमानुसार अधिकार प्राप्त हैं। प्रार्थीगण नियमानुसार बनने वाली राजकीय राशि जमा करवाने को तैयार हैं। अतः निवेदन हैं कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर हमारी भूमि के पत्थरगढ़ी के आदेश जारी करने की कृपा करें।

बहस सुनने के उपरान्त हमारे द्वारा पत्रावली का आधोपान्त अवलोकन किया। पत्रावली के संलग्न जमाबंदी सम्वत् 2072–75 ग्राम सीलोर तहसील व जिला बून्दी राजस्थान की आराजी खसरा संख्या 2604/1465 रकबा 1.1151 है0 में प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार दर्ज हैं। उक्त भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 21.06.2023 को तहसीलदार, बून्दी द्वारा कर दिया गया हैं। फर्द सीमाज्ञान संलग्न पत्रावली हैं। प्रार्थीगण को प्रावधानों के अनुसार अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढ़ी करवाने का अधिकार प्राप्त हैं। इसलिये प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य हैं।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता हैं एवं तहसीलदार, बून्दी को 500/–रू0 फीस पर मौका कमिश्नर नियुक्त कर आदेशित किया जाता हैं कि प्रार्थीगण द्वारा नियमानुसार मौका कमिश्नर फीस [illegible] शुल्क जमा कराये जाने के उपरान्त आराजी खसरा संख्या 2604/1465 रकबा [illegible]15 है0 ग्राम सीलोर तहसील व जिला बून्दी राजस्थान की पत्थरगढ़ी [illegible] को सूचित करते हुए अन्य न्यायालय का स्थगन व मौके पर फसल [illegible] नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित करें। पत्रावली फैसल शुमार [illegible] नुसार दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2025.02.28 19:44:43 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 13.12.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(हरबिन्दर डी0 सिंह)
[illegible] अधिकारी